न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–49/2015
CIS NO. TS-265/2018

विनोद कुमार मिश्रा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बैधनाथ साह.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
11.05.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.07.2022 संबंधित आदेश 16 नियम 1 एवं धारा 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 05.07.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि पर अपने हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जा वापसी हेतु लाया गया है। प्रतिवादी 15 धुर एराजी पर गसबन कब्जा करके नींव दे दिया है तथा दिवार खडा कर लिया है जिसमें 3 धुर भूमि वादी सं0–01 तथा बाकी भूमि वादी सं0–02 ता 07 की है। मुकदमा के दौरान वादीगण के निवेदन पर न्यायालय द्वारा अधिवक्ता आयुक्त श्री धीरज कुमार पाण्डेय की बहाली कर प्रतिवदेन की माँग की गयी थी। अधिवक्ता आयुक्त श्री धीरज कुमार पाण्डेय के द्वारा उभय पक्षों के सामने जाँच कर अपना प्रतिवदेन समर्पित किया, जो अभिलेख पर है। प्रतिवदेन को साबित करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त श्री धीरज कुमार पाण्डेय का बयान कराना वादीगण की ओर से आवश्यक है। अधिवक्ता आयुक्त बिना समन के गवाही देने को तैयार नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री धीरज कुमार पाण्डेय के नाम दस्ता समन वादीगण को देना का कार्यालय को निर्देश दिया जाय ताकि अधिवक्ता आयुक्त महोदय का साक्ष्य कराया जा सके। प्रतिवादी की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 09.02.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता आयुक्त को स्वयं न्यायालय में उपस्थित कराना है तथा असफल होने के पश्चात वादी को न्यायालय से सहायता प्राप्त करना है। अधिवक्ता आयुक्त की उपस्थिति हेतु सम्मन	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–49/2015
CIS NO. TS-265/2018

लगातार 11.05.2023	निर्गत विधि विरूद्ध है। अधिवक्ता आयुक्त श्री शिवनारायण श्रीवास्तव अधिवक्ता के जूनियर है। अतः उनका साक्ष्य ग्रहण योग्य नही है। अतः आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादीगण द्वारा अधिवक्ता आयुक्त का साक्ष्य कराये जाने का निवेदन किया गया है। चूँकि अभिलेख पर अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन उपलब्ध है। अतः न्यायहित में अधिवक्ता आयुक्त का साक्ष्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि वाद से संबंधित समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वादों का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन हो सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 05.07.2022 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 19.06.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	